

GOVERNMENT OF INDIA भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAY रेल मंत्रालय
RAILWAY BOARD रेलवे बोर्ड

No. 2020/H-1/2/5/per capita

New Delhi, dated 30.12.2025

The General Managers,
All Indian Railways/Production Units
The Director General RDSO/ Lucknow, The PCAO(R) PLW/ Patiala,
& The CAO/RWP/Bela.

Subject:- Calculation of Per Capita Charges {Per Card Holder (family)} for providing Medical Facilities to certain beneficiaries in Railway Hospital/ Dispensaries.

Ref:- Board's letter of even no. dated 25.11.2014, 27.05.2016, 20.12.2017, 26.06.2018, 17.06.2019, 28.10.2020, 31.08.2021, 22.07.2022, 30.10.2023 & 25.11.2024.

In terms of Para 610(3) of IRMM-2000, Medical attendance and treatment facilities are available to the staff and the members of their families of the Cooperative Credit Societies and Banks on per capita charge basis. Similarly, as per Para 610(5) of IRMM-2000, Indoor Medical facilities to the family members of quasi-Railway organization, as mentioned in para 610(1) of IRMM-2000, are available on payment of per-capita charges.

The Per Capita Charges {Per Card Holder (family)} is calculated on the basis of total expenditure on medical services (excluding health services) incurred on Railway employee in India during the previous financial year.

Accordingly, the Per Capita Charges {Per Card Holder (family)} for the financial year i.e. 2024-25 are Rs.20405.86/- p.a.

This issues with the concurrence of Finance Directorate of Railway Board.


(P. M. Meena)
Director/Health
Railway Board

No. 2020/H-1/2/5/per capita

New Delhi, dated 30.12.2025

Copy to:

1. The PCMDs/PCMOs, All Indian Railways/Production Units & RDSO.
2. The Principal Chief Personnel Officers, All Indian Railways & Production Units.


(P. M. Meena)
Director/Health
Railway Board

Contd.....

No. 2020/H-1/2/5/per capita

New Delhi, Dated .12.2025

Copy to:

1. The Principal Financial Advisors, All Indian Railways & Production Units & RDSO.
2. The Principal Directors of Audit, All Indian Railways/Production Units.
3. The Dy. Comptroller & Auditor General of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhavan, New Delhi.

Opshani
05.1.2026
for Member Finance/Railway Board.

No. 2020/H-1/2/5/per capita

New Delhi, Dated .12.2025

Copy to:

1. The General Secretary, NFIR, Room no. 256-E, Rail Bhawan, New Delhi.
2. The General Secretary, AIRF, Room no. 253, Rail Bhawan, New Delhi.
3. All Members of Departmental Council and National Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozshah Road, New Delhi.
4. The Secretary General, FROA & IRPOA, Room No.256-A & 268, Railway Board.
5. The General Secretary, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
6. The Secretary, RBSS Group 'A' Officers Association, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
7. The Secretary, RBSS Group 'B' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
8. The Secretary, RBMSA, Rail Bhawan, New Delhi.
9. The Secretary, Railway Board Group 'D' Employees Association, Rail Bhawan, New Delhi.
10. The Secretary, Railway Board Promotee Officers Association, Room No.341-C, Rail Bhawan, New Delhi.
11. The General Secretary, All India SC/ST Railway Employees Association, Room No.8 Ground Floor, Rail Bhawan, New Delhi.
12. General Secretary, Retired Railway Employees Welfare Association (Regd.), 490A/16, Gurudwara Road, Gurgaon.

Chauhan

For PED(IR), Railway Board

Copy also to:

JDFE, DDF(E)-IV, F(E)/Spl Branch, Railway Board

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAY
(रेलवे बोर्ड)/RAILWAY BOARD

सं. 2020/H-1/2/5/per capita

नई दिल्ली, दिनांक: 30.12.2025

महाप्रबंधक,

सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

महानिदेशक अनुसंधान अभियान एवं मानक संगठन/लखनऊ, प्रधान मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर) पटियाला
रेलइंजन कारखाना/पटियाला,

एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/रेल पहिया कारखाना/बेला.

विषय:- रेलवे अस्पताल/औषधालयों में कतिपय लाभार्थियों को चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने हेतु
(प्रति कार्ड धारक (परिवार); प्रति व्यक्ति प्रभार की गणना।

संदर्भ:- बोर्ड का दिनांक 25.11.2014, 27.05.2016, 20.12.2017, 26.06.2018, 17.06.2019, 28.10.2020,
31.08.2021, 22.07.2022, 30.10.2023 एवं 25.11.2024 के समसंबंधीय पत्र

आईआरएम-2000 के पैरा 610(3) के अनुसार, सहकारी क्रृष्ण समितियों और बैंकों के कर्मचारियों और
उनके परिवार के सदस्यों के लिए प्रति व्यक्ति प्रभार के आधार पर चिकित्सा सेवा एवं उपचार सुविधाएं
उपलब्ध हैं। इसी प्रकार, आईआरएम-2000 के पैरा 610(5) के अनुसार, अर्ध-रेलवे संगठन के परिवार के
सदस्यों के लिए भी आईआरएम-2000 के पैरा 601(1) में यथा उल्लिखित, प्रति-व्यक्ति प्रभार का भुगतान
करने पर इंडोर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं।

प्रति व्यक्ति प्रभार {प्रति कार्डधारक (परिवार); की गणना पिछले वित वर्ष के दौरान भारत में रेल
कर्मचारियों की चिकित्सा सेवाओं (स्वास्थ्य सेवाओं को छोड़कर) पर हुए कुल खर्च के आधार पर की जाती है।

तदनुसार, वित वर्ष अर्थात् 2024-25 के लिए प्रति व्यक्ति प्रभार {प्रति कार्ड धारक (परिवार); रु.
20405.86/- प्रति वर्ष है।

इसे रेलवे बोर्ड के वित निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।


(पी.एम. मीणा)
निदेशक/स्वास्थ्य
रेलवे बोर्ड

सं. 2020/H-1/2/5/per capita

नई दिल्ली, दिनांक: 30.12.2025

प्रतिलिपि प्रेषित:

- प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक/प्रधान मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें/ उत्पादन इकाइयां
एवं आरडीएसओ।
- प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।


(पी.एम. मीणा)
निदेशक/स्वास्थ्य
रेलवे बोर्ड

जारी.... 2/

सं. 2020/H-1/2/5/per capita

नई दिल्ली, दिनांक: .12.2025

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयों और आरडीएसओ
2. प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक, सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां।
3. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (रेलें), कमरा सं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।

Yashwant
०५.१.२०२६
कृते सदस्य वित्त/रेलवे बोर्ड

सं. 2020/H-1/2/5/per capita

नई दिल्ली, दिनांक: .12.2025

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली।
2. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली।
3. राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
4. सेक्रेटरी जनरल, फ्रोआ और आईआरपीओए, कमरा नं. 256-ए एवं 268 रेलवे बोर्ड।
5. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
6. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 256-डी रेल भवन, नई दिल्ली।
7. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
8. सचिव, आरबीएमएसए, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' एम्पलोइज एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड प्रमोटी ऑफिसर एसोसिएशन, कमरा नं. 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे इम्प्लाइज एसोसिएशन, कमरा नं. 8, ग्राउंड फ्लोर, रेल भवन, नई दिल्ली-110001
12. जनरल सेक्रेटरी, रिटार्ड रेलवे इम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन (रजि.), 490ए/16, गुरुद्वारा रोड, गुडगांव।

Chintan

कृते प्रधान कार्यपालक निदेशक (औद्योगिक संबंध), रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:

सं. नि. वि. (स्था.), उपनिदेशक वि. (स्था.) -IV, वि. (स्था.)/विशेष शाखा, रेलवे बोर्ड